

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर जिला अलवर (राज0)

मिसल नं.11/2024

दर्ज दिनांक :- 29/11/2024

बनाम

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तारीख में जारी हुए
29.11.2024	<p>आज यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 व नियम 58, 59, 60, 66, 86 राजस्थान भू-अभिलेख नियम, 1957 मय दस्तावेज प्रार्थी तहसीलदार कठूमर की ओर से मय जांच रिपोर्ट पटवारी हल्का एवं भू अभिलेख निरीक्षक के पेश हुआ। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। आइन्दा वास्ते गौर(आदेश) दिनांक 20.12.2024 को पेश हो।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर) राज०</p>	
20.12.2024	<p>आज यह पत्रावली वास्ते गौर(आदेश) में पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा संलग्न जांच रिपोर्ट पटवारी हल्का एवं भू अभिलेख निरीक्षक की मौका रिपोर्ट व पर्चा मौका तथा तहसीलदार कठूमर की अभिशंषा का गहनता पूर्वक अध्ययन किया। अतः प्रस्तुत प्रार्थना पत्र तहसीलदार कठूमर, स्वीकार किया जाकर प्रकरण राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता कायम करने के आदेश दिये जाते हैं। निर्णय प्रथक से लिखाया जाकर सुनाया गया। तहसीलदार कठूमर को पालना हेतु आदेश जारी हो। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर) राज०</p>	

2024/672

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर अलवर (राज0)

क्रमांक: राजस्व/2024/465

दिनांक: 26/12/2024

तहसीलदार कठूमर

बनाम

नेमसिंह वगै0

आदेश

तहसीलदार कठूमर के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 व नियम 58, 59, 60, 66, 86 राजस्थान भू-अभिलेख नियम 1957, मय दस्तावेज नकल जमाबंदी नकल नक्शा, पटवारी व भूअभिलेख, अभिशंषा तहसीलदार कठूमर को ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन किया गया जिसके अनुसार पटवार मण्डल गारू के ग्राम कारोली तहसील कठूमर के खसरावार -

खसरा संख्या	कुल रकबा (हैक्टेयर में)	रास्ते का रकबा (हैक्टेयर में)		खसरा संख्या	कुल रकबा (हैक्टेयर में)	रास्ते का रकबा (हैक्टेयर में)
510	0.1600	0.0066		511	0.2300	0.0096
513	0.7700	0.0216		514	0.7700	0.0201

उपरोक्तानुसार चल रहे रास्ता का अंकन राजस्व अभिलेख में करवाने हेतु पेश किया, जो चालू है। संबंधित पटवारी हल्का ने अपनी मौका रिपोर्ट में मौके पर उक्त रास्ते को काफी पुराने समय से चालू बताया है। साथ ही जांच भू. अ. निरीक्षक एवं तहसीलदार कठूमर की अभिशंषा के अनुसार यह पाया गया कि आवेदन तथा सलंगन नक्शे में दर्शाये अनुसार मौके पर चालू कदिमी/स्थाई रास्ता चालू है। अतः राजस्थान सरकार के राजस्व परिपत्रांक प. 3(17)राज-6/2021/पार्ट/91 दिनांक 30.09.2021 में वर्णित निर्देशों अनुसार आवेदक खातेदारान की खातेदारी की भूमि में से मौके पर स्थाई रूप से चालू लेकिन राजस्व रिकॉर्ड में अंकन से शेष कदिमी रास्ते को खातेदार की खातेदारी में रखते हुए गैर मु. रास्ता दर्ज करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

तहसीलदार कठूमर को निर्देशित किया जाता है कि रास्ते का अंकन राजस्व रिकॉर्ड एवं राजस्व नक्शे में सलंगन नक्शे एवं परिशिष्ट ए में वर्णितानुसार करावे। तहसीलदार कठूमर इस आदेश की पालना कर पालना रिपोर्ट से अवगत करावें।

यह आदेश आज दिनांक 20/12/2024 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय मुद्रा से जारी किया गया।

(श्याम सुन्दर चेतियाल)
उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)